न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 26 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 गजरो पुत्री परतीया		1 भैरूनाथ पुत्र विजेनाथ
2 कानीया पुत्र परतीया		2 सोहनलाल पुत्र विजेनाथ
3 कन्या उर्फ शान्ती बेवा बालिया		3 घीसूनाथ पुत्र विजेनाथ
4 लक्ष्मी पुत्री परतीया		4 रामनाथ पुत्र नारायणनाथ
5 गेरकी पुत्री रामलाल जातिगण मीणा निवासीगण गांथी तहसील देसूरी जिला पाली		5 शिवनाथ पुत्र नारायणनाथ
		6 भंवरनाथ पुत्र नारायणलाल
		7 अणची बेवा नारायणनाथ
		8 सुरेश पुत्र नवलनाथ
		9 लक्ष्मी बेवा नवलनाथ जातिगण नाथ निवासीगण गांथी तहसील देसूरी
		10 वजाराम पुत्र खुमा
		11 भंवरलाल पुत्र खुमा
		12 जमुडी पुत्री खुमा
		13 डेलाराम पुत्र रामलाल जातिगण मीणा निवासीगण गांथी तहसील देसूरी जिला पाली
		14 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री पोकरलाल परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 46/2015 गेरूनाथ वगैरा बनाम कानीया वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत के खातेदारी घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा एवं उस वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया है, जबकि अपीलाण्ट रेकडेर्ड खातेदार है। कानूनन किसी रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विधि विरूद्ध रूप से कूटरचित दस्तावेजात् के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है, तथाकथित बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रतिकूल है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट खातेदार दर्ज है तथा एक खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में निर्णय पारित हो चुका है। इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने से खारिज योग्य है। कानूनन स्थगन प्रार्थना पत्र मूल वाद प्रभाव में होने पर ही प्रभावी होता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में मूल वाद में निर्णय पारित हो चुका है। इस कारण यह अपील स्वतः निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपीलाण्ट्स की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि अपने पिता एवं दादा विजेनाथ द्वारा वर्ष 1955 व 1956 में खरीदसुदा होने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी अपीलाण्ट के पक्ष में घोषित कराने एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अपीलाण्ट्स को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करते हुए मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया। इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद दिनांक 15.06.2016 को न्याय आपके द्वार कैम्प सुमेर में अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना अंकित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9/वादी का वाद खारिज किया गया है। चूंकि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद निर्णित हो चुका है, इस स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। इस कारण हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 46/2015 गेरूनाथ वगैरा बनाम कानीया वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली